न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के रा.लो.अ केम्प कोर्ट,अटल सेवा केन्द्र बाल्दा

राजस्व प्रा.पत्र सं. 184/2017

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

नरेशकुमार पुत्र रूपचंदजी जाति रावल आयु 40 वर्ष पेशा खेती निवासी मालगांव तहसील रेवदर जिला सिरोही

बनाम

1. मृतक स्व.नाथूराम पुत्र देवा जाति माली निवासी राजमाता धर्मशाला रोड,सिरोही के वारिसान व कायम मुकाम
1/1 श्रीमति पंकु धर्मपत्नि स्व.हंसारामजी
1/2 रमेशकुमार पुत्र स्व. हंसारामजी
1/3 चुन्नीलाल पुत्र स्व.हंसारामजी
1/4 दुर्गा पुत्री स्व. हंसारामजी
1/5 मोहनलाल पुत्र स्व.नाथूरामजी
1/6 अमीया पुत्री स्व.नाथूरामजी
1/7 पार्वती पुत्री स्व.नाथूरामजी
1/8 मणी पुत्री स्व.नाथूरामजी
1/9 मंजुला पुत्री स्व.नाथूरामजी
1/10 प्रवीणा पुत्री स्व.नाथूरामजी
1/11 सुरेश पुत्र स्व.अमृतलालजी
1/12 गोविन्द स्व.अमृतलालजी
1/13 ललित स्व. अमृतलालजी
1/14 कमलेश स्व.अमृतलालजी
1/15 लीला पत्नि स्व.अमृतलालजी
सभी आयु व्यस्क जाति माली सर्वनिवासीयान राजमाता धर्मशाला रोड सिरोही तहसील व जिला सिरोही
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री प्रकाश प्रजापत
2– अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/4 तक की ओर से वकील श्री महेन्द्र चौहान
3– अप्रार्थी संख्या 2,स्टेट तहसीलदार,सिरोही

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27–6–2018

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/15 तक का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 17–11–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिराही जिला सिरोही मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 113 खसरा नंबर 1020/29 रकबा 2.1800 हैक्टेयर किस्म बंजर आई हुई है। वर्णित कृषि आराजी खाता संख्या नया 113 खसरा संख्या 1020/29 की कुल रकबा 2.1800 हेक्टेयर की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी नरेशकुमार रावल व अप्रार्थी नाथूराम वल्द देवा माली के नाम संयुक्त खातेदार के रूपम` दर्ज है जिसका समुचित विवरण वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी मे दर्ज है एवं खातेदार नाथूराम पुत्र देवा माली की मृत्यु वर्ष 2013 मे हो चुका है,एवं स्व. नाथूराम पपुत्र देवाजी माली निवासी सिरोही के एक मात्र वैध पुत्र श्री हंसाजी माली ि,तथा स्व. नाथूराम की धर्मपत्नि श्रीमति मगुदेवी एवं उनके एकमात्र पुत्र हंसाजी का देहवसान पूर्व मे ही हो चुका है इस प्रकार वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व स्व.नाथूराम वल्द देवा माली के विधिक वारिसान व कायम मुकाम

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 2

अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 का एक बटा दो हक हिस्सा स्थित है। प्रार्थी ने वर्णित वादग्रस्त आराजी का 1/2 एक बटा दो अर्थात आधा हक हिस्सा पूर्व खातेदार श्री धूलाराम पुत्र देवाजी माली निवासी सिरोही से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख खरीद कर मौके पर उक्त आराजी मे 1/2 पूर्वी दिशा के आपसी सहमति से पहले से ही विभाजित खातेदारी हक हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया है, पंजीकृत विक्रय विलेख व वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पूर्व खातेदार विक्रेता श्री धूलाराम वल्द देवाजी माली एवं मृतक स्व.नाथूराम वल्द देवाजी आपस मे सगे भाई है, जिन्होने वर्णित आराजी को करीब 43 तैतालिस वर्ष पहले आपसी सहमति से मौखिक बंटवाा कर उक्त आराजी को 1/2 एक बटा दो के दो बराबर बराबर हिस्सों मे विभाजित कर काबिल काश्त हुये, जिसमे उक्त आराजी मे स्थित पूर्वी दिशा वाले 1/2 अर्थात 1.0900 हेक्टेयर हक हिस्से पर पूर्व विक्रेता खातेदार धूलाराम पुत्र देवाजी माली एवं उक्त आराजी मे स्थित पश्चिमी दिशा वाले 1/2 के 1.0900 हैक्टेयर हक हिस्से पर मृतक नाथूराम पुत्र देवाजी माली काबिज काश्त हुये थे, इस प्रकार प्रार्थी उक्त कृषि आराजी पर पूर्व रसाधिकारी विक्रेता श्री धूलाराम के जरिये करीब 43 वर्षो से उसके 1/2 आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजित पूर्वी दिशा के हक हिस्से पर निर्बाध काबिज काश्त है। जिसकी अप्रार्थीगण को पूर्णतया जानकारी है। प्रथम दृष्टयॉ केस प्रार्थी के पक्ष मे है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना भी प्रार्थी के पक्ष मे है, चूंकि अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 द्वारा वादी के वादग्रस्त आराजी मे पूर्वी दिशा वाले 1/2 हक हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि मे दखलन्दाजी करने तथा जबरन कब्जा करने की दिशा मे प्रार्थी को बहुविवाद मे उलझना पडेगा, एवं प्रार्थी अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा जिससे प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा तथा प्रार्थी न्याय प्राप्ति से हमेशा के लिये वंचित रह जायेगा जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 का प्रार्थी के उक्त आराजी मे स्थित 1/2 एक बटा दो हक हिस्से मे किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा निहित नही है तथापित अप्रार्थीगण उक्त आराजी को येनकेन प्रकारेण स्वार्थपरता वंश गैरकानूनी ढंग से प्रवेश कर कब्जा कर हडप करने पर तारू है जिसका उन्हे कानूनन कोई अधिकार नही है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण है सुविधा का संतुलन भी रेकर्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखने मे है अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 आये दिन सम्पूमर्ण वादग्रस्त आराजी मे पूर्वी दिशा मे स्थित प्रार्थी के 1/2 पूर्व खातेदारों द्वारा आपसी रजामंदी से किये गये मौखिक बंटवाड अनुरूप हक हिस्से कब्जे काश्त मे बिना किसी हक अधिकार कृषि कार्य करने मे दखलंदाजी कर बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रार्थी को बहुविवाद मे उलझना पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्योंकन रूपयों मे नही किया जा सकता है जिसके लिये प्रार्थी के हित मे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को ताफैसला वाद यथावत बनाये रखा जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का बाद सुनवाई पक्षकारान स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 एवं उनके नुमाइन्दे ताफैसला प्रार्थनापत्र मे वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1020/29 की कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर मे स्थित पूर्वी दिशा वाले 1/2 अर्थात 1.0900 हैक्टेयर प्रार्थी के हक हिस्से कब्जा काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी न करें एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व समस्त कृषि कार्य करने से बाधित न करें एवं तथा ताफैसला वाद रेकर्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखे इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आज ही जारी कराना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 113 खसरा नंबर 1020/29 रकबा 2.1800 हेक्टेयर, नक्शा ट्रेस, पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17-10-2017 पहचान पत्र प्रार्थी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 17-11-2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थीगण को

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

नोटिस तामिली के बाद इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 1–12–2017 को अप्रार्थी रमेश,चुन्नीलाल,दुर्गा,पंकू मय इनके वकील श्री महेन्द्र चौहान ने हाजिर होकर जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 तक ने जरिये वकील उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब मे संक्षेप मे यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 के मध्य मौके पर मृतक खातेदार स्व. नाथूराम वल्द देवाजी व उसके सगे भाई पूर्व खातेदार धूलाराम वल्द देवाजी द्वारा आपसी समझ व सहमति से मोखिक रूप से मोके पर 1/2 के दो बराबर हिस्सों मे विभाजित कर काबिज काश्त थे उसी अनुसार प्रार्थी भी अपने पूर्व रसाधिकारी विक्रेता श्री धूलाराम वल्द देवाजी द्वारा उक्त आराजी के पूर्वी दिशा मे स्थित 1/2 हक हिस्से के कब्जे काश्त पर शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से पूर्ववत ऐवमेव काबिज होकर रेकर्डेड खातेदार कृषक है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे उक्त आराजी संयुकत व अविभक्त है एवं मौके पर उक्त कृषि कआराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 तक आपसी समझ से पहले से दो बराबर भागो मे विभाजित अपने अपने हक हिस्से पर काश्त करते आ रहे थे एवं वादग्रस्त आराजी का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक करते आ रहे थे "सत्य वर्णित होने से स्वीकार है परन्तु इस पद व अन्य पदो मे शेष वर्णित कथन गलत वर्णित होने से अस्वीकार है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने उक्त जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह भी निवेदन किया कि वर्णित राजस्व आराजी का अप्रार्थी सं. 1/1 ता 1/4 व प्रार्थी के मध्य वर्णित प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे वर्णित अनुसार उनके खातेदारी हक हिस्से अनुसार पूर्व रसधिकारियों मृतक स्व. नाथूराम एवं श्री धूलाराम द्वारा मौके पर आपसी सहमति एवं रजामंदी से करीब 43 साल पहले किये गये मोखिक विभाजन के अनुरूप उक्त खसरा नंबर 1020/29 की आराजी मे अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 के पश्चिमी दिशा वाले 1/2 रकबा 1.0900 हेक्टेयर हक हिस्से पर एवं उक्त आराजी मे स्थित प्रार्थी के पूर्वी दिशा वाले 1/2 रकबा 1.0900 हेक्टेयर हक हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाड किये जाने की डिक्री व तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाना पक्षकारान के न्यायहित मे है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 मे प्रार्थी के मध्य वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1020/29 पूर्व रसाधिकारियों द्वारा करीब 43 वर्ष पहले ही मौखिक रूप से दो बराबर हिस्सों मे बंटवाड किया था,जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त कुल अआराजी के पूर्वी दिशा वाले आधे भू भाग पर उसके पूर्व रसाधिकारियों विक्रेता श्री धूलाराम माली के जरिये काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 उक्त आराजी के पश्चिमी दिशा वाले आधे हिस्से पपर काबिज काश्त है,इस प्रकार प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे वर्णित अनुसार उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य मौके पर काबिज काश्त अनुसार लोक अदालत की भावना से विभाजन किये जाने के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते है तो अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 तक को कोई आपत्ति नही रहेगी । अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1/1 हत 1/4 की ओर से जवाब स्वीकार फरमाया जाकर पक्षकारान के न्यायहित मे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1020/29 के मौके पर पूर्वी दिशा मे स्थित प्रार्थी के 1/2 रकबा 1.0900 हेक्टेयर हक हिस्से का एवं उक्त आराजी मे स्थित अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 के पश्चिमी दिशा वाले 1/2 1.0900 हेक्टेयर हक हिस्से पर मोके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाड किये जाने की डिक्री व तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्दाज के आदेश पारित कराना न्यायहित मे फरमावें ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 30–4–2018 को सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/5 1/6,1/7,1/9,1/10,1/11,1/12 ,1/13,1/14,1/15 को नोटिस तामिली होने के बावजूद हाजिर नही है। उक्त नोटिस मे कई अप्रार्थीगण के नोटिस उनके रिश्तेदार सुरेशकुमार माली जो जिला कार्यालय सिरोही मे निर्वाचन शाखा मे कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है उसने नोटिस प्राप्त

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज॰)

Continue Page No 4

किये है जो कि एक जिम्मेदार कार्मिक है इस कारण न्यायालय उक्त नोटिस तामिल योग्य मानता है। अप्रार्थी संख्या 1/8 मणी के पति ने नोटिस तामिल करने लेने से मना करने की रिर्पोट तामिल कुनिन्दा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 8 मणी को नोटिस न्यायालय द्वारा तामिली योग्य मानता है। दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1/5 से 1/15 तक को न्यायालय मे हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद न्यायालय समय तक स्वंय या इनके प्रतिनिधि वकील कोई भी हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/5 से 1/15 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमली मे लाने के आदेश दिये गये है। तथा विचारण प्रकरण की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प बाल्दा मे दिनांक 28–6–2018 को रखी गई ।

आज दिनांक 28–6–2018 को यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र बाल्दा मे मेरे समक्ष पेश हुई । विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश प्रजापत वकील प्रार्थी तथा श्री महेन्द्रकुमार चौहान वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 तक हाजिर हुये । तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार/सिरोही भी हाजिर हुये । विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने अंतिम बहस के दौरान जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया । तहसीलदार/सिरोही ने उक्त जवाब मे कथन किया कि श्री नरेशकुमार पुत्र रूपचंद द्वारा मौजा राजपुरा (बाल्दा) के खसरा नंबर 1020/29 के कल रकबा 2.1800 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 को पूर्व के संयुक्त खातेदार श्री धूलाराम पुत्र स्व.देवाराम से खरीद की गई है। उपरोक्त आराजी ग्राम राजपुरा मे नेशनल हाईवे नंबर 62 के दक्षिण दिशा मे आई हुई है जो वादी व प्रतिवादीगण स्व. नाथूराम के वारिसदारानों के संयुक्त खातेदारी मे स्थित है। वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण स्व.नाथूराम के वारिसदारानों का हिस्सा 1/2 है। मौके पर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाडा नही है। एवं संयुक्त खातेदारी मे ही काश्त है। प्रतिवादीगण स्व. नाथूराम के फौत होने पर वारिसदारों के नामान्तकरण संख्या 503 दायर होकर दिनांक 10–1–2018 को निर्णित हो चुका है। तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी मे दर्ज वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते है तथा यदि मौके पर कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी करते है तो उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित होगा ।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली प्रार्थनापत्र/जवाब अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 तक मय राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण तथा तहसीलदार /सिरोही की बहस सुनकर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/15 तक के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादग्रस्त कृषि भूमि का खसरा नंबर 1020/29 रकबा 2.1800 हेक्टेयर मे 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी का एवं 1/2 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/15 तक का है। उक्त वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। जिसका विधिवत रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री न्यायालय से जारी करना उचित है अन्यथा पक्षकारान के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि के हक हिस्से /सिंचाई/फसल बोने व अन्य कृषि कार्य को लेकर झगडा फसाद हो सकता है। उभय पक्षकारान भी साथ साथ खेती नही करना चाहता है तथा न्यायालय से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत रूप से न्यायालय की प्राथमिक डिक्री जारी करवाकर अपना अपना हक हिस्सा अलग अलग करवाना चाहते है। ताकि पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर सकें ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No5

 रा.प्रा.पत्र सं.184/2017 अ.धा.212 आर.टी.एक्ट
नरेशकुमार बनाम स्व.नाथूराम वगैरहा

विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त रेकर्ड के आधारित स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे संबंधित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो, प्रमाणित करना होता है। विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1/5 ता 1/15 तक के विरूद्व न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये है तथा तहसीलदार, सिरोही ने भी अपनी बहस मे वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी मे दर्ज वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज होकर काश्त करते है तथा यदि मौके पर कब्जे काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी करते है तो उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित बताया है।

पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 113 के खसरा नंबर 1020/29 रकबा 2.1800 हेक्टेयर के खातेदार कृषक नाथूराम पुत्र देवा माली सा.सिरोही हि.1/2 नरेशकुमार पुत्र रूपचंद जाति रावल सा.मालगांव हसील रेवदर जिला सिरोही हि.1/2 खातेदार नामान्करण संख्या 493 नि.दि 11–10–2017 न्याया.आदेश दर्ज है। प्रार्थी संयुक्त खातेदार कृषक है तथा सहकृषक भी है।प्रार्थी का प्रथम दृष्टयॉ केस है क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी का बंटवाड किये बगैर उपजाउ व समतल भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर दिया तो प्रार्थी को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन आंकना मुश्किल रहेगा व प्रार्थी को मुकदमाबाजी मे उलझना पडेगा । अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ होने व अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होने से संबंधित प्रकरण प्रमाणित करने हेतु किसी तरह का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/15 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/15 तक व उनके नुमाईन्दे ता फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नंबर 1020/29 रकबा 2.1800 हेक्टेयर किस्म बंजर मे स्थित पूर्वी दिशा वाले 1/2 अर्थात 1.0900 हेक्टेयर प्रार्थी के हक हिस्से कब्जा काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी न करें एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने व समस्त कृषि कार्य करने से बाधित न करें तथा ताफैसला मूल वाद रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–6–2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बालदा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

28/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

28/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)